# भारत : माध्यमिक शिक्षा परियोजना
# राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान
# समानता आधारित कार्य योजना

## माध्यमिक स्कूल भागीदारी में असमानताएं

जैसा कि इस परियोजना हेतु सामाजिक आकलन से पता चलता है, माध्यमिक स्कूल भागीदारी में व्याप्त असमानताएं कई प्रकार की हैं: भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक और स्त्री-पुरूष आधारित। प्रत्येक प्रकार की असमानता संबंधी उदाहरण नीचे दिए गए हैं:-

- भौगोलिक: माध्यमिक स्कूलों में भागीदारी भारत के अलग-अलग राज्यों में व्यापक रूप से अलग-अलग हैं, देश की औसत सकल उपस्थिति दर (जीएआर) 70 प्रतिशत से कहीं यह उपर है तथा कहीं नीचे। यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखण्ड तथा बिहार जैसे बड़े राज्यों में 60 प्रतिशत से कम है परन्तु तमिलनाडु एवं केरल जैसे बड़े राज्यों और कुछेक छोटे पूर्वोत्तर तथा पर्वतीय राज्यों (एनएसएस, 2007-08) में यह दर 90 प्रतिशत से अधिक है। यद्यपि शहरी सकल उपस्थिति दर (जीएआर) 85.2 प्रतिशत के करीब थी, परन्तु ग्रामीण दर 65.5 प्रतिशत थी।
- स्त्री-पुरूष : बालिकाओं तथा बालकों से संबंधित सकल उपस्थिति दर और निवल उपस्थिति दर सारणी-1 में दी गई है, जो ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों हेतु अलग से स्त्री-पुरूष आधारित दरों को भी दर्शाती है। सभी मामलों में बालिका दर बालकों की तुलना में काफी पीछे है।
- सामाजिक तथा धार्मिक समूह: जैसा कि सारणी-2 में दर्शाया गया है, अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, तथा मुस्लिम अल्पसंख्यकों की जी ए आर तथा एन ए आर समग्र दरों की तुलना में काफी कम है जबकि अन्य पिछड़े वर्गों हेतु ये दरें लगभग समग्र दरों के समान है। हिन्दू उच्च जाति के घरों तथा अन्य धर्मों के बच्चों की उपस्थिति दर औसत की तुलना में उल्लेखनीय रूप से अधिक है।
- आर्थिक स्थिति: जैसाकि सारणी 3 में दर्शाया गया है बच्चों की उपस्थिति दरों में आर्थिक स्तरों के आधार पर भारी अंतर है। सर्वाधिक गरीब बच्चों की उपस्थिति दर अमीर बच्चों की तुलना में लगभग आधी है।

हालांकि, उपर्युक्त असमानता संबंधी चर्चा उपस्थिति दरों पर केन्द्रित है, इसी प्रकार के अंतर माध्यमिक शिक्षा पूरी करने के मामले में भी देखे जा सकते हैं।

सारणी 1. बालक तथा बालिका, ग्रामीण, शहरी तथा कुल मिलाकर सकल/निवल उपस्थिति दरें

| | समग्र | बालिका | | | बालक | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ग्रामीण | शहरी | सभी | ग्रामीण | शहरी | सभी |
| जीएआर | 70.2 | 59.1 | 80.9 | 64.3 | 71.2 | 89.1 | 75.3 |
| एनएआर | 41.0 | | | 39.0 | | | 42.7 |

सारणी 2. सामाजिक/धार्मिक श्रेणी आधारित सकल/निवल उपस्थिति दरें

| | समग्र | अ.ज.जा. | अ.जा. | अ पि व | हिन्दू सामान्य | मुस्लिम | अन्य धर्म |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| जीएआर | 70.2 | 52.5 | 61.0 | 70.5 | 91.0 | 51.0 | 81.9 |
| एनएआर | 41.0 | 27.2 | 34.1 | 41.8 | 56.4 | 27.2 | 46.4 |

स्रोतः राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण 64 वां दौर

सारणी 3. आर्थिक सांख्यिकी के आधार पर कसल/निवल उपस्थिति दर

| क्विन्टाइल | सर्वाधिक गरीब | ग़रीब | मध्यम | अमीर | सर्वाधिक अमीर | सभी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| जीएआर | 52.9 | 61.8 | 68.1 | 81.0 | 96.3 | 70.2 |
| एनएआर | 31.0 | 35.8 | 38.9 | 46.4 | 59.2 | 41.0 |

स्रोतः राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण 64 वां दौर । घरों में मासिक प्रतिव्यक्ति खपत व्यय के आधार पर आंकड़े।

असमानताओं से संबंधित कारण- इन असमानताओं के पीछे आपूर्ति तथा मांग जैसे कारक हैं। ग्रामीण क्षेत्रों तथा पिछड़े राज्यों में अपर्याप्त संख्या में माध्यमिक स्कूल हैं जो दूर-दूर स्थित हैं तथा जहां व्यवस्थाओं में भारी कमी है। स्कूलों के ठीक ढंग से कार्य न करने के कारण छात्र पढ़ाई बीच में ही छोड़ जाते हैं क्योकि उनके माता-पिता ऐसा मानते हैं कि पढ़ाई की 'लागत' के अनुरूप उन्हें लाभ नहीं मिल पाता है। जैसे ही ये बच्चे इतने बड़े हो जाते हैं कि इन्हें किसी अन्य घरेलू कार्यों अथवा लाभकारी कार्यकलापों में लगाया जा सके, उन्हें स्कूल से निकाल लिया जाता है। लड़कों की तुलना में लड़कियों को स्कूल भेजे जाने की संभावना कम होती है क्योंकि उनके माता-पिता, समुदाय तथा पूरा समाज

उनकी पढ़ाई को कम महत्व देता है। अन्य कारणों में लड़कियों की यौवनावस्था प्राप्त करते ही इस डर से कि कहीं उन्हें यौन अथवा शारीरिक उत्पीड़न का सामना न करना पड़े, परदे के भीतर रखना; शादी की तैयारी करना आदि-आदि जैसी सामाजिक प्रथाएं भी शामिल हैं। अ.जा. तथा अ.ज.जा. बच्चों के बीच नामांकन इन्हीं कारणों से कम होते हैं- जहां वे रहते हैं वहां स्कूलों की सुलभता तथा व्यवस्था में कमी (विशेषतः जनजातीय क्षेत्रों में); उनके समुदायों द्वारा औपचारिक शिक्षा को कम महत्व दिया जाना जो उनकी सोच से परे तथा उनके समाजार्थिक भविष्य से मेल नहीं खाते; और स्कूलों के भीतर उनके विरूद्ध भेदभाव जैसे कारण इनमें से कुछ कारण हैं। मुस्लिम बच्चे जिन्होंने धार्मिक माहौल में पढ़ाई की हो, वे भी समान रूप से मुख्यधारा से दूर रह सकते हैं। गरीब तबकों में स्कूली पढ़ाई की लागत (कपड़े, आने जाने की लागत, पुस्तकें, सामग्रियाँ आदि) और 'मजदूरी की तिलांजलि' जैसे कुछ महत्वपूर्ण अतिरिक्त कारक हैं जिनके कारण कम नामांकन तथा कम उपस्थिति होती है।

मौटे तौर पर एनएसएस के 64 वें दौर में बच्चों द्वारा पढ़ाई जारी न रखने से संबंधित कुछ प्रमुख कारण बताए गए हैं जैसेः 'वितीय अड़चन', 'इच्छित स्तर तक की पढ़ाई पूरी कर लेना', 'माता-पिता द्वारा रूचि न लेना', 'पढ़ाई में मन न लगना', और 'पढ़ाई के दबाव को न झेल पाना'। कम से कम अंतिम दो कारण अध्ययन संबंधी समस्या की ओर इशारा करते हैं- जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं अपनी प्रगति सुनिश्चित करने के लिए स्कूल में उनपर अपर्याप्त ध्यान दिया जा सकता है। सामाजिक आकलन से यह बात साबित हो जाती है कि माध्यमिक शिक्षा की मांग समाज के सभी वर्गों तथा जगहों में मौजूद है, जिनमें लाभवंचित भी शामिल हैं और वे इन उपायों का माकूल जवाब देंगे। एस ए की सिफारिशें नीचे समानता आधारित कार्य योजना में शामिल हैं।

## राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान कार्यढांचा

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जिसे इस परियोजना का समर्थन प्राप्त होगा, समानता संबंधी कई आयामों को समेकित करता है। उदाहरण के तौर पर इस कार्यक्रम की अभिकल्पना में अग्रलिखित शामिल हैं: (i) प्रत्येक बस्ती के 5 कि.मी. के दायरे में एक-एक माध्यमिक स्कूल उपलब्ध कराना (अर्थात भौगोलिक समानता); (ii) आर्थिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े समूहों, लड़कियों तथा विकलांग बच्चों और अ.जा., अ.ज.जा. तथा अन्य पिछड़े वर्गों जैसे उपेक्षित वर्गों और शैक्षिक दृष्टि पिछड़े अल्पसंख्यकों (जो बड़े पैमाने पर मुस्लिम हैं) को यह सुलभ कराना; और (iii) 2017 तक माध्यमिक शिक्षा की सार्वभौमिक सुलभता और 2020 तक सार्वभौमिक प्रतिधारण सुनिश्चित करना।

इसके विशिष्ट लक्ष्यों में "स्त्री-पुरूष, सामाजिक-आर्थिक, विकलांगता तथा अन्य अड़चनों पर ध्यान दिए बिना ही संतोषप्रद गुणवत्ता वाली माध्यमिक शिक्षा प्रदान करना" शामिल है। सुलभता में सुधार करने-अर्थात सर्वसुलभ माध्यमिक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, इस कार्यढांचे में निम्नलिखित कार्यनीतियों का प्रस्ताव है: मौजूदा स्कूलों का विस्तार करना; उच्च प्राथमिक स्कूलों विशेषतः आश्रम स्कूलों ( जो जनजातीय क्षेत्रों में स्थित हैं) का स्तरोन्नयन करना; और स्कूल मैपिंग के आधार पर कम लाभान्वित क्षेत्रों में नए स्कूल खोलना। पर्वतीय क्षेत्रों, दुर्गम स्कूलों तथा छिट-पुट आबादी वाले इलाकों में 5 कि.मी. वाले मानदंड से छूट देने का एक प्रावधान है। समानता में और सुधार लाने हेतु यह भी प्रस्तावित है: अ.जा., अ.ज.जा., अ.पि.व. तथा अल्पसंख्यक छात्रों के लिए निःशुल्क बोर्डिंग सुविधाओं की उपलब्धता में वृद्धि कना; लड़कियों हेतु आवासीय सुविधाएं, शौचालय, वर्दियां पुस्तकें तथा नकद प्रोत्साहन प्रदान करना; योग्यता छात्रवृत्तियां प्रदान करना; निःशक्त बच्चों के लिए सुविधाओं को उन्नत बनाना, मुक्त विद्यालय तथा दूरस्थ अध्ययन सुविधाओं का विस्तार करना। गुणवत्ता सुधार जो उपस्थिति तथा अध्ययन उपलब्धि में सुधार करने में भी सहायक हो सकते हैं, में शामिल हैं: कक्षा-कक्ष सुविधाओं, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, कंप्यूटर कक्षों में सुधार करना; अतिरिक्त शिक्षकों की भर्ती, सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करना और शिक्षकों विशेषतः महिलाओं के लिए आवासीय सुविधाओं की व्यवस्था करना। समुदायों से उम्मीद की जाती है कि वे शौचालय तथा पेयजल सुविधाओं को छोड़कर अधिकांश सृजित की जाने वाली भैतिक बुनियादी सुविधाओं हेतु अंशदान करें। एक महत्वपूर्ण गुणवत्ता मूलक उपाय जो स्पष्टतः समानता जैसे मुद्दे को भी सम्बोधित करता है, वह है कक्षा VIII की पढ़ाई पूरी कर चुके छात्रों के लिए सांतराल पाठ्यक्रम संचालित करना।

बालिकाएं: राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान कार्य ढांचे में यह उल्लेख है कि इस कार्यक्रम का "मुख्य ध्यान बालिका शिक्षा" पर है। इसे सुविधाजनक बनाने हेतु "सांस्कृतिक अड़चनों को दूर करने" के लिए सामुदायिक संघटन (विशेषतः शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े समूहों में), एसएमडीसी में महिलाओं की भागीदारी और प्रोत्साहन योजनाएं (आर्थिक अड़चनों को दूर करने के लिए) कुछ मुख्य साधन हैं। एक राष्ट्रीय प्रोत्साहन योजना के तहत अ.जा./अ.ज.जा. समुदाय की बालिकाओं अथवा विशेष बालिका स्कूलों की बालिकाओं (कस्तूरबा गांधी बालिका विकास योजना के तहत) जो कक्षा VIII उत्तीर्ण करने के पश्चात कक्षा IX में दाखिला लेती हैं, के लिए नकद राशि जमा की जाती है। उन बालिकाओं की उम्र 18 वर्ष हो जाने पर वे इस जमा राशि को निकाल सकती हैं। अन्य

उपायों में बोर्डिंग सुविधाएं तथा अनुदान, परिवहन (दुपहिया साइकिल, बस पास), सुरक्षा संबंधी उपाय और भर्ती, महिला शिक्षकों के लिए आवास तथा भत्ते आदि शामिल हैं।

समाज के लाभवंचित समूहः राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.वर्ग/ शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े अल्पसंख्यकों के बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस कार्य ढांचे में योजना तैयार करने में उनके प्रतिनिधियों की भागीदारी और यह उल्लेख करने की बात कही गई है कि इन योजनाओं से ये समूह कैसे लाभान्वित होंगे। इन योजनाओं में अ.जा./अ.ज.जा बच्चों के लिए संदर्भ विशिष्ट उपाय अवश्य होने चाहिए, जिसमें अग्रलिखित शामिल हो सकते हैं: आश्रम स्कूल, छात्रावास सुविधाएं, अ.जा./अ.ज.जा. समुदाय आयोजक, शिक्षक सहायक, भाषा शिक्षक, विशेष प्रोत्साहन आदि-आदि। शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े अल्पसंख्यक बच्चों के लिए कई उपाय भी सुझाए जाते हैं। इस कार्य ढांचे में यह भी आह्वान किया गया है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कार्य ढांचे में "शिक्षा शास्त्रीय प्रक्रियाओं को संदर्भमूलक बनाने और एक ऐसा लोकाचार विकसित करने का सुझाव दिया गया है जो सभी बच्चों को उनके सामाजिक पिछड़ेपन या स्त्री-पुरूष पर ध्यान दिए बिना सफलता हासिल करने में सक्षम बनाए।" इसे हासिल करने के लिए प्रासंगिक संसाधन एजेंसियों से उम्मीद की जाती है कि वे सांस्कृतिक तथा भाषायी अंतरालों को पाटने के लिए स्थान विशिष्ट अनुपूरक सामग्रियां तैयार करें और शिक्षक प्रशिक्षण से उम्मीद की जाती है कि इस प्रयोजनार्थ शिक्षा शास्त्र में सुधार होगा।

सुधार संदर्भः ये सुधार इस क्षेत्र में सुधारों के संदर्भ में होते हैं जिनमें उत्तरदायित्व एवं कार्य निष्पादन में सुधार हेतु प्रबंधन का विकेन्द्रीकरण; औचित्य पूर्ण कार्मिक नीतियां; सभी स्तरों पर पेशेवर तथा शैक्षिक जानकारियों में सुधार करना, जिसमें राष्ट्रीय तथा राज्य संसाधन संस्थाओं और संबंधित तृतीयक शिक्षा संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण शामिल है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अलावा, भारत सरकार के पास गैर सरकारी संगठनों को सहायता देने की योजना ताकि स्कूलों में विकलांग बच्चों को समेकित किया जा सके और एक अन्य योजना ग्रामीण क्षेत्रों में बालिका छात्रावास में बढ़ोतरी करने के प्रयोजनार्थ है। कई समानता बढ़ाने वाले 'प्रोत्साहन' जैसे छात्रवृत्तियां, वर्दियां, पाठ्यपुस्तकें तथा नोटबुक आदि का वित्तपोषण राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है (न कि केन्द्र सरकार द्वारा) और राज्य मानदण्डों का अनुपालन किया जाता है जबकि स्कूलों की स्थापना करने तथा शिक्षकों की भर्ती के लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जाता है। इस तरह, समानता में सुधार के लिए राज्य

तथा जिला प्रबंधकों द्वारा 'स्कूल' तथा 'छात्र' व्यवस्था मूलक योजनाओं को अवश्य ही सहयोगमूलक बनाया जाना चाहिए, ताकि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की कारगरता सुनिश्चित करने के बाबत समयबद्ध तरीके से नगद एवं अनुग्रह उपलब्ध हो सके।

स्कूल आधारित आयोजना: प्रत्येक जिले में कार्यान्वित किए जाने वाले विशिष्ट उपाय व्यापक ग्राम तथा परिवार दौरों, ग्राम/वार्ड सभाओं में हुए विचार-विमर्शों तथा स्कूलों, विशेष रूप से स्कूल प्रबंधन तथा विकास समितियों द्वारा शिक्षकों, पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई), गैर सरकारी संगठनों, लाभवंचित वर्गों के अभिभावकों, महिलाओं इत्यादि के सहयोग से प्रति वर्ष तैयार की गई योजनाओं पर आधारित होने की अपेक्षा की जाती है। स्कूल योजनाओं को जिला स्तर पर तथा जिला योजनाओं को राज्य स्तर पर संकलित किया जाएगा। राज्य तथा जिला योजनाओं में उपस्थिति, अवधारण, परिवर्तन तथा अध्ययन उपलब्धियों के लिए लक्ष्य निर्धारित होने चाहिएं जिनमें सामाजिक वर्गों, महिला-पुरूष तथा ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों हेतु अलग लक्ष्य शामिल होने चाहिएं। योजना में सभी कार्यकलापों में महिला-पुरूष फोकस होना चाहिए तथा इन्हें महिला-पुरूष के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। इन योजनाओं का राज्य तथा राष्ट्रीय स्तरों पर मूल्यांकन किया जाना होगा। योजनाओं के कार्यान्वयन-स्कूल स्तर तक की मानीटरिंग भी राज्य/राष्ट्रीय टीमों द्वारा की जाएगी। स्कूल स्तर से अच्छी गुणवत्ता वाला डाटा हासिल करने के लिए माध्यमिक शिक्षा मानीटरिंग सूचना प्रणाली को सुदृढ़ किया जा रहा है।

परियोजना लक्ष्य तथा समानता हेतु अभिकल्प

परियोजना का उद्देश्य भारत की अच्छी गुणवत्ता वाली माध्यमिक शिक्षा हेतु बढ़ी हुई तथा और अधिक समानतामूलक सुलभता हासिल करने में मदद करना है। अतः परियोजना विकास के उद्देश्य को हासिल करने के लिए साम्यता होना आवश्यक है। परियोजना राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत एक नए नवाचार संघटक सहित, गुणवत्ता, समानता तथा जवाबदेही में सुधार हेतु राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान कार्यढांचे में सभी कार्यकलापों को सहायता देगी। जैसाकि ऊपर वर्णन किया गया है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान कार्यढांचे का लक्ष्य जिलों और राज्य योजनाओं तथा कुछेक विशिष्ट कार्यक्रमों में अभिज्ञात की गई विशिष्ट पहलों के साथ लाभवंचित वर्गों तक पहुंचना है। वितपोषण हेतु प्रस्तावित कुछ विशिष्ट कार्यकलाप हैं: नए स्कूलों का निर्माण करना तथा मौजूदा स्कूलों का विस्तार/पुनरूद्धार करना; अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति, सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण, स्थानीय संसाधन संस्थाओं का क्षमता निर्माण,

छात्रों का मूल्यांकन करना, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं, कम्प्यूटरों आदि के साथ स्कूलों के लिए व्यवस्था करना, एस.एम.डी.सी. की क्षमताओं का निर्माण करना तथा मानीटरिंग, मूल्यांकन और अनुसंधान करना। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत नवाचार संघटक परियोजनाओं के नवाचार हेतु तथा सफल प्रयोगों के विस्तार हेतु प्रतियोगी रूप से अनुदान प्रदान करेगा। प्रस्ताव तैयार करने तथा इनका चयन करने (नीचे देखें) हेतु समानता अपने दिशा निर्देशों में एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसके अतिरिक्त, परियोजना का लक्ष्य भैगोलिक समानता है- यद्यपि यह पूरे देश को शामिल करेगा, यह आशा है कि लाभवंचित राज्यों तथा जिलों को संसाधन असमानुपात रूप में उपलब्ध कराए जाएंगे।

उपर्युक्त पृष्ठभूमि के प्रति ऐसी कार्रवाईयां, जो यह सुनिश्चित करने हेतु विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में समानता प्राप्त की जाती है नीचे दी गई हैं:-

**स्कूल प्रबंधन तथा विकास समितियों के कार्यों का सुदृढ़ीकरण।** एस.एम.डी.सी के गठन की प्रक्रिया को शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2010 में वर्णित प्रणाली के समनुरूप बनाया जाएगा। जहां कहीं भी स्कूलों में प्रारम्भिक तथा माध्यमिक सेक्शन दोनों शामिल हैं, वहां पर स्कूल के विकास तथा मानीटरिंग के लिए एक एकल एस.एम.डी.सी गठित की जाएगी। जहां पर माध्यमिक स्कूल एक अलग संस्था है, वहां प्रारम्भिक स्तर पर एस.एम.डी.सी का अभिशासन तंत्र माध्यमिक स्कूल एस.एम.डी.सी. के कार्यकरण की जानकारी देगा, अर्थात प्रारम्भिक तथा माध्यमिक स्तरों पर एस.एम.डी.सी द्वारा एक सामान्य प्रणाली का अनुसरण किया जाएगा। एस.एम.डी.सी सदस्यों हेतु विशिष्ट प्रशिक्षण तथा निविष्टि की व्यवस्था की जाएगी ताकि सहायता करने, मानीटरिंग तथा स्कूल की गुणवत्ता में सुधार की उनकी क्षमताओं का निर्माण किया जा सके। स्कूल के प्रबंधन तथा मानीटरिंग में सुधार हेतु लक्षित क्षमता के अतिरिक्त समानता में सुधार तथा महिला पुरूष समानता हेतु प्रशिक्षण माड्यूल तैयार किए जाएंगे। ये माड्यूल उपयुक्त गैर सरकारी संगठनों द्वारा एन.सी.ई.आर.टी अथवा एस.सी.ई.आर.टी के साथ सहयोग से तैयार किए जा सकते हैं। ऐसे राज्यों जहां पर महिला समाख्या कार्यक्रम मौजूद है इसे इस माड्यूल को विकसित करने तथा कार्य सम्पादन में शामिल किया जाएगा।

**बालिका शिक्षा की सामुदायिक जागरूकता में वृद्धि करना।** यह परियोजना सामुदायिक अभियानों, महिला समूहों तथा संगठनों के साथ प्रयासों तथा सामुदायिक कार्यनीतियों को प्रोत्साहित करेगी जिससे बालिका नामांकन, अवधारण तथा अध्ययन में सुधार हेतु मांग

संबंधी बाधाओं अथवा आपूर्ति संबंधी कारकों का समाधान होगा। ऐसे प्रयासों से बालिकाओं की माध्यमिक शिक्षा हेतु और सहायक वातावरण उपलब्ध होने की आशा है तथा इससे प्राथमिक शिक्षा में भी समान प्रयासों पर ध्यान दिया जा सकेगा। अन्य शामिल न किए गए वर्गों की स्कूल शिक्षा में सहायता हेतु इसी प्रकार के प्रयास किए जा सकते हैं।

**जिला योजनाओं में शामिल करना सुनिश्चित किया जाना।** यह आशा है कि जिला योजनाओं को प्रमुख स्टेकहोल्डरों, विशेष रूप से, स्कूल स्तर पर एस.एम.डी.सी द्वारा तैयार किया जाएगा। जैसाकि ऊपर वर्णन किया गया है, योजनाओं को नामांकन, उपस्थिति, परिवर्तन तथा बालिकाओं के अध्ययन को सुनिश्चित करने तथा अब तक शामिल नहीं किए गए समूहों पर फोकस करने की आशा है। इसे हासिल करने के लिए, एस.एम.डी.सी. को परियोजना अवधि में जल्दी तैयार किया जाएगा तथा आवश्यक आंकड़े एकत्रित करने, घर-परिवारों के दौरे करने तथा ग्रामों में परामर्श करने तथा उचित योजनाओं को तैयार करने के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। उन्हें केन्द्र तथा राज्य सरकारों के साम्यता बढ़ाने वाले विभिन्न प्रावधानों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी ताकि इन्हें शामिल किया जाना सुनिश्चित किया जा सके। इस प्रकार एस.एम.डी.सी. तथा पी.आर.आई. सदस्यों को प्रशिक्षण दिए जाने की उनकी क्षमताओं का निर्माण होगा तथा आयोजना में रूचि बढ़ेगी और साथ ही साथ आर.एम.एस.ए. पहलों में उनकी भागीदारी का भी निर्माण करेगा। परियोजना के तहत योजना तैयार करने के प्रथम वर्ष में यह आशा की जाती है कि कम से कम 50 प्रतिशत स्कूल अपनी योजनाएं तैयार करेंगे, जिन्हें कि जिला योजनाओं में शामिल किया जाएगा; दूसरे वर्ष में 80 प्रतिशत तथा तीसरे वर्ष तक सभी 100 प्रतिशत स्कूल ऐसा करेंगे। इसी प्रकार, जिला तथा राज्य योजनाओं का मूल्यांकन करने वालों को ऐसे दृष्टिकाणों तथा कार्यकलापों में प्रबोधित किए जाने की आवश्यकता होगी जिससे उन्हें समानता लाने में मदद मिलेगी।

**समानता में वृद्धि करने के लिए स्कीमों का समेकन।** जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है, ऐसी कई केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की स्कीमें हैं जिनका आशय माध्यमिक शिक्षा में नामांकन तथा सतता में वृद्धि करना है। इनका शिक्षा विभागों तथा अन्य विभागों (उदाहरण के लिए जनजातीय कार्य/कल्याण विभाग) द्वारा प्रबंधन किया जा सकता है। तथा इनके विभिन्न लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं- उदाहरण के लिए बालिकाओं, अ.जा./अ.ज.जा, गरीबी रेखा से नीचे अथवा प्रतिभावान छात्रों के लिए छात्रवृत्ति स्कीम उपलब्ध है। विभिन्न माध्यमिक शिक्षा संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के समेकन

अथवा उन्हें एक छत्र के नीचे लाने के लिए जैसाकि सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्राथमिक शिक्षा हेतु किया गया है, सरकार के भीतर तथा सरकार और विभिन्न विकास भागीदारों के बीच विभिन्न विचार-विमर्श किए गए हैं। शीघ्र से शीघ्र इसे औपचारिक तौर पर 12 वीं पंचवर्षीय योजना में हासिल किया जा सकता है। इससे पहले, मौजूदा अच्छी प्रथाओं का पता लगाने तथा समेकन किस तरह से हो सकता है, इसका निर्णय करने के लिए राज्यों के साथ विचार-विमर्श का एक अवसर उपलब्ध है।

**पाठ्यचर्या सुधार तथा शिक्षक प्रशिक्षण।** समानता हेतु सहायता करने अर्थात ऐसे छात्रों जिनकी शैक्षिक उपलब्धियां कम हैं की सहायता के लिए पाठ्यचर्याओं तथा शिक्षण प्रक्रियाओं की आवश्यकता है। यह परियोजना पाठ्यचर्या की समीक्षाओं तथा संशोधनों में सहायता प्रदान करेगी जिसके परिणामस्वरूप विषय-वस्तु तथा सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील पाठ्यपुस्तकों का प्रासंगीकरण होगा, ऐसे छात्रों हेतु पाठ्यचर्याओं को सम्पादित करने के लिए शिक्षकों के लिए मार्गदर्शन टूल तैयार होंगे जो सांस्कृतिक तथा भाषायी रूप से पाठ्यपुस्तकों की विषय-वस्तु से अनभिज्ञ हैं। शैक्षणिक नवाचार जिनसे शिक्षुओं को अवधारणाओं, परिषाआओं जोकि अधिकांशतः अंग्रेजी में हैं, से सुपरिचित कराने के लिए अध्यापन कक्ष में 'अपनी दुनिया' में लाने हेतु मदद मिलती है। इन दृष्टिकोणों में सुधार के लिए सभी विषयों के अध्यापन में पाठ्यचर्या सुधार संबंधी दिशानिर्देशों में इन्हें इस रूप में शामिल करने की आवश्यकता है जैसेकि प्रत्येक विषय हेतु उपयुक्त हो। शिक्षक प्रशिक्षण (सेवाकालीन तथा सेवा पूर्व) दिए जाने से कमजोर छात्रों के कार्य निष्पादन में सुधार के उपाय के रूप में प्रत्येक विषय में 'बाहरी' अथवा कठिन धारणाओं को पढ़ाने की शिक्षकों की क्षमता सुदृढ़ होगी। प्रशिक्षण से साम्यता, संतग कानूनों तथा छात्रों के अधिकारों तथा पात्रताओं (अर्थात गैर-पक्षपातपूर्ण प्रथाओं) को समझने हेतु एक माड्यूल को शामिल करके समानता की समस्या का भी सीधे समाधान होगा। अवधारण में साम्यता हासिल करना तथा स्कूली शिक्षा में बच्चों के अनुभव को पूरा करना महत्वपूर्ण है तथा इस अनुभव के लिए शिक्षकों का आचरण तथा प्रदर्शन महत्वपूर्ण है। (कि कक्षा IX तथा X का नामांकन भी कक्षा VIII तक के अनुभव से प्रभावित होता है)

**समानता तथा गुणवत्ता संकेतकों का विकास।** आर.एम.एस.ए. में गुणवत्ता सूचकों, विशेष रूप से जो समानता को प्रोत्साहित करते हैं के विकास की आवश्यकता है। ये सूचक परिमाणात्मक तथा गुणात्मक हो सकते हैं, प्रक्रिया से संबंधित हो सकते हैं तथा उनमें

'परिवर्तन के संकेतक' शामिल हो सकते हैं और वे अवश्य ही संतुलित होने चाहिएं। गुणवत्ता कार्यढांचों के विकास की प्रक्रिया में समानता संबंधी मुद्दों, सूचकों तथा टूलों पर विशेष ध्यान दिए जाने का प्रस्ताव है, जिसे परियोजना के आरंभिक चरणों में क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय कार्यशालाओं के माध्यम से एन.सी.ई.आर.टी तथा एन.यू.ई.पी.ए द्वारा किया जाएगा। टी.एस.जी. राज्य सरकारों, एन.यू.ई.पी.ए तथा विशेषज्ञों के सहयोग से इन कार्यशालाओं को आयोजित कर सकता है। एन.यू.ई.पी.ए. माध्यमिक शिक्षा मानीटरिंग प्रणाली के एक भाग के रूप में उपयुक्त ट्रैकिंग तंत्र तैयार करेगा तथा इन्हें प्रणाली में शामिल करने से पूर्व परीक्षण करेगा। अनुवर्ती कार्रवाईयों की योजना कार्यशालाओं में तैयार की जाएगी।

**राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान ( आरएमएसए) में उन्नति के लिए समानता संबंधी मुद्दों तथा समाधानों को समझना।** माध्यमिक शिक्षा में आधारभूत असमानताओं संबंधी मुद्दों के प्रति हमारी समझ में सुधार करने तथा इनका समाधान करने हेतु कारगर कार्रवाइयों की आवश्यकता है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एन.यू.ई.पी.ए, एन.सी.ई.आर.टी, योग्य प्राप्त विश्वविद्यालय विभागों, अनुसंधान संस्थाओं तथा व्यक्तियों को शामिल करते हुए विशिष्ट संबंधित विषयों पर इतरवर्गीय तथा देशांतरीय, मात्रात्मक तथा /अथवा गुणात्मक अध्ययनों को करेगा। ये विशिष्ट विषयों पर निम्नानुसार अन्य विषयक अध्ययन एवं बड़े पैमाने पर और सूक्ष्म अध्ययन होंगे।

- बच्चों के प्रारंभिक शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा में न जाने, माध्यमिक शिक्षा बीच में छोड़ देने अथवा पूरी न करने के कारणों सहित अपेक्षित समूहों में माध्यमिक शिक्षा में भागीदारी संबंधी मनोवृत्ति तथा समस्याओं को समझाना;
- माध्यमिक शिक्षा में युवा महिलाओं/पुरूषों की भागीदारी के संबंध में विवाह प्रथाओं, कार्य, पलायन का प्रभाव;
- महिला-पुरूष, जाति, वर्ग तथा समुदाय के प्रति माध्यमिक शिक्षा शिक्षकों की समझ तथा ये किस प्रकार शिक्षकों के कार्य निष्पादन को प्रभावित करती है;
- एस.एम.डी.सी का संघटन, माध्यमिक शिक्षा में समानता तथा गुणवत्ता के संवर्धन में भूमिका तथा कार्यनिष्पादन;
- माध्यमिक शिक्षा में अध्ययन कक्षों का स्वरूप/ शिक्षुओं द्वारा अनुभव की जा रही अध्यापन प्रथाएं।

सूचना व्यवस्था तथा शिकायत निवारण

परियोजना कार्यकलापों, योजनाओं सहित परियोजना सूचना, लक्ष्यों, वास्तविक प्रगति, व्यय, परियोजना परिणामों तथा शिकायतों के व्यापक सार्वजनिक निरीक्षण हेतु राज्य स्तरीय वेबसाइटों के माध्यम से इनका खुलासा किया जाएगा। स्कूल स्तर पर, छात्रों, माता-पिताओं तथा समुदाय सदस्यों के लाभ हेतु अन्य मदों के साथ-साथ, छात्रों, विशेष समूहों के लिए विशेष योजनाओं सहित विशेष स्कीमों के लाभों, एस.एम.डी.सी. सदस्यों के नामों, स्कूलों के सुधारों हेतु की जाने वाली कार्यवाहियों तथा वित्तीय सूचना को प्रदर्शन बोर्डों पर दर्शाया जाएगा (अर्थात स्थानीय भाषा अथवा भाषाओं में)। इन तंत्रों (साथ ही साथ निम्नलिखित शिकायत निवारण तंत्रों) की कारगरता का आकलन करने के लिए उनका मध्यावधिक (प्रत्येक राज्य हेतु एक नमूने के आधार पर) मूल्यांकन किया जाएगा।

माता-पिता तथा समुदाय की शिकायतों का समाधान करने हेतु स्कूल प्रबंधन तथा विकास समितियां (एस.एम.डी.सी.) सबसे मुख्य व्यवस्था है तथा यदि आवश्यक हो तो मामलों को ग्राम पंचायत तथा पंचायत समितियों (चयनित ग्राम तथा ब्लॉक स्तरीय निकाय जो स्कूल शिक्षा का पर्यवेक्षण करते हैं) के साथ उठाया जा सकता है। जिला स्तर पर जिला न्यायधीश/कलेक्टर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का पर्यवेक्षण करते हैं तथा वे शिकायतों के निवारण हेतु उत्तरदायी हैं। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान कार्यढांचे में यह अपेक्षा की गई है कि प्रत्येक जिला कार्यक्रम कार्यालय में एक शिकायत सेल हो जहां पर शिकायतें दर्ज कराई जा सकें। शिकायत सेल शिकायतों की जांच करेगा, यदि आवश्यक हो तो यह विशेष लेखा परीक्षा/जांच करेगा, तथा दर्ज की गई शिकायतों तथा की गई कार्रवाई के संबंध में राज्य परियोजना निदेशक को आवधिक रिपोर्टें भेजेगा। सभी शिकायत तंत्रों में ऐसे गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे जो शैक्षिक प्रणाली का हिस्सा नहीं हैं ताकि शिक्षकों, स्कूल प्रशासकों तथा उच्च स्तरीय अधिकारियों से संबंधित मामले उनके समक्ष लाए जा सकें।

हालांकि उपरोक्त कार्यों पर बैंक द्वारा उसके कार्यान्वयन सहायक कार्यकलापों में जोर डाला जाएगा, फिर भी उन सभी को मॉनीटर करना संभव नहीं होगा। अतः, कुछ विशिष्ट कार्यों, जिन्हें मॉनीटर किया जा सकता है, का चयन किया गया है और उन्हें निम्नलिखित समानता संबंधी कार्ययोजना में शामिल किया गया है।

समानता संबंधी कार्ययोजना

| कार्य क्षेत्र | समानता संबंधी कार्य | उत्तरदायित्व | कब | मॉनीटरिंग सूचक तथा योजना |
|---|---|---|---|---|
| समुदाय की भागीदारी: स्कूल प्रबंधन तथा विकास समितियां (एसएमडी सी) | स्कूल प्रबंधन तथा विकास समितियों को सभी बच्चों द्वारा स्कूल में उपस्थित होने की सुनिश्चित करने और शिक्षकों की उपस्थिति को मॉनीटर करने में उनके कार्य निष्पादन को सुदृढ़ करने हेतु प्रशिक्षित करना। स्कूल प्रबंधन तथा विकास समितियों की भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों से संबंधित सूचना का प्रचार-प्रसार करना। | राज्य और जिला स्तर | संपूर्ण परियोजनावधि के दौरान | स्कूल प्रबंधन तथा विकास समिति के प्रशिक्षण और संबंधित कार्यकलापों की प्रगति पर राज्य स्तरीय रिपोर्टें। |
| जिला तथा राज्य योजनाएं | जिला तथा राज्य योजनाओं में समानता से संबंधित वार्षिक लक्ष्य और इन्हें किस प्रकार से प्राप्त किया जाएगा, इसका पता लगाना शामिल है।<br><br>जिला तथा राज्य योजनाओं में कवरेज, लक्ष्य, समेकन पद्धति तथा अन्य योजनाओं की मॉनीटरिंग (शिक्षा अथवा अन्य विभागों में) जो माध्यमिक शिक्षा में उपस्थिति तथा उसकी सम्पन्नता में सहायता करती हैं, शामिल हैं। | जिला, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर | संपूर्ण परियोजनावधि में वार्षिक तौर पर | नीचे दिए गए विस्तृत प्रदर्शन सूचकों पर राज्यों/जिलों द्वारा जिला तथा राज्य योजना के संबंध में मूल्यांकन रिपोर्ट |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| अध्यापक नियुक्तियां | नए अध्यापकों की नियुक्तियां उन क्षेत्रों के पक्ष में होंगी जहां विगत में अध्यापकों का अभाव था | जिला और राज्य स्तर | संपूर्ण परियोजनावधि के दौरान आवधिक रूप से | जिला योजना डीपी के छमाही कार्यान्वयन सहायता मिशन को राष्ट्रीय तथा राज्य रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाती है। |
| नवीन शैक्षणिक तकनीकों को प्रयोग करते हुए अध्यापकों को सेवा-कालीन प्रशिक्षण | प्रशिक्षण में 'कमजोर' अध्यापक शामिल किए जाएंगे तथा शैक्षणिक तकनीकों में "कमजोर" छात्रों जिनका कार्य निष्पादन निम्न स्तर का हो, को शामिल किया जाएगा। | कमजोर अध्यापकों को प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के लिए जिला और राज्य स्तरीय शिक्षा प्राधिकारी; एनसीईआरटी, एससीईआरटी तथा अन्य प्रशिक्षण संस्थान (अध्यापन हेतु) | संपूर्ण परियोजनावधि के दौरान | जिला योजना डीपी के छमाही कार्यान्वयन सहायता मिशन को राष्ट्रीय तथा राज्य रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाती है। |
| स्कूल निर्माण | नए माध्यमिक स्कूल और प्राथमिक स्कूल जो माध्यमिक तक स्तरोन्नत किए गए हों, अधिमानतः स्कूल मैपिंग तथा | राज्य स्तर | संपूर्ण परियोजना के दौरान कार्रवाई; | जिला/ब्लॉक के कम लाभांवित होने की स्थिति को |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | एसईएमआईएस डाटा के आधार पर कम लाभांवित क्षेत्रों (लाभवंचित जिलों और ब्लॉकों) में खोले जाएंगे। | | वार्षिक रिपोर्टें | दर्शाते हुए नए और स्तरोन्नत स्कूलों के स्थानों की रिपोर्टें |
| मॉनीटरिंग, मूल्यांकन तथा अनुसंधान | उपयुक्त महिला-पुरूष, सामाजिक, आर्थिक, डाटा के भौगोलिक असमूहन के साथ एसईएमआईएस का विकास समानता से संबंधित विषयों पर शोध अध्ययन | राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर विकसित प्रणाली; स्कूलों द्वारा उपलब्ध कराया गया डाटा है और उच्च स्तरों पर समेकित किया जाता है। | संपूर्ण परियोजनावधि के दौरान | छात्रों तथा सामाजिक/आर्थिक वर्गों संबंधी डाटा को एसईएमआईएस की वार्षिक मॉनीटरिंग रिपोर्टों में अलग-अलग किया गया है। स्कूलों पर डाटा जिलों द्वारा दर्शाया जाता है। |
| छात्र निर्धारण | महिला-पुरूष, सामाजिक (अ.जा.,अ.ज.जा., अ.पि.व., सामान्य) तथा आर्थिक श्रेणियों के तथा स्कूल स्थानों संबंधी डाटा को एकत्रित, विश्लेषित तथा सूचित करना | राष्ट्रीय स्तर पर तथा 10 राज्यों | 2012 | इस प्रकार अलग अलग किए गए डाटा के साथ रिपोर्ट की उपलब्धता |
| आरएमएसए के तहत नवाचारी संघटक | हालांकि प्रस्तावों के चयन के लिए मानदंड में समानता शामिल है (100 अंकों में से 15) तथापि "विजयी" प्रस्तावों की संख्या जो समानता संबंधी | टीएसजी नवाचारी एकक | संपूर्ण परियोजनावधि के दौरान: छमाही रिपोर्टें | नवाचारों की रिपोर्टें का कार्य शुरू किया गया और परिणामों |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | समाधान करेगी यह जानने के लिए आधार होगी कि क्या राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत् नवाचारी संघटक मामले का नवाचारों/प्रयोगों/बढ़ावा देने के माध्यम से समाधान कर रहा है? | | | के साथ पूरी की गई। |

मॉनीटरिंग

परियोजना के मुख्य कार्य-निष्पादन संकेतकों में महिला-पुरूष समानता सूचकांक शामिल है। इसके परिणाम कार्यढांचे में परिणामों और प्रक्रियाओं के संबंध में विस्तृत कार्य-निष्पादन संकेतक भी शामिल हैं, जिनमें परियोजना के पांच वर्षों के प्रत्येक वर्ष के लिए वार्षिक लक्ष्य भी शामिल हैं। इनमें शामिल हैं :

- माध्यमिक स्कूल (ग्रेड IX तथा X) में नामांकित प्रति 100 लड़कों पर लड़कियों की संख्या
- ग्रेड X पूरा करने वाले प्रति 100 लड़कों पर लड़कियों की संख्या
- माध्यमिक नामांकन में अ.जा. का हिस्सा
- माध्यमिक शिक्षा पूरी करने वाले में अ.जा. का हिस्सा
- नामांकित 100 अनुसूचित जाति के लड़कों पर अ.जा. की लड़कियों की संख्या
- माध्यमिक नामांकन में अ.ज.जा. का हिस्सा
- माध्यमिक शिक्षा पूरी करने वाले में अ.ज.जा. का हिस्सा
- नामांकित 100 अनुसूचित जन जाति के लड़कों पर अ.ज.जा. की लड़कियों की संख्या
- बालिका प्रसाधन कक्षों की पर्याप्त संख्या वाले स्कूलों का अनुपात

इसके अतिरिक्त, परिणाम कार्यढांचे में बहुत से संकेतक शामिल हैं जो भौतिक सुविधाओं की उपलब्धता, अध्यापकों की उपलब्धता तथा गुणवत्ता, स्कूल प्रबंधन तथा विकास समितियों सहित प्रबंधन क्षमता और स्कूलों की जबावदेही तथा अभिशासन के संबंध में है। इसमें अनेक संगत "विशेष उद्देश्य अध्ययनों" का भी प्रस्ताव किया गया है जिसमें महिला-पुरूष, सामाजिक एवं आर्थिक समूहों इत्यादि के आधार पर इत्यादि अलग-अलग की गई सूचना, विशेष तौर पर अध्ययन उपलब्धियों तथा स्कूल प्रबंधन एवं विकास समिति के संबंध में सूचना प्राप्त करने हेतु तकनीकों को लागू किया जा सकता है। छात्र अध्ययन परिणामों की मॉनीटरिंग से भी 'सामान्य श्रेणी' के छात्रों के प्रदर्शन की स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है, जिसके द्वारा इस समूह में भी 'कमजोर छात्रों' के अनुपात की

पहचान की जा सकती है। अंत में अ.जा., अ.ज.जा. एवं मुस्लिम अल्पसंख्यक की बालिकाओं और छात्रों के अध्ययन एवं सहभागिता में सुधार करने हेतु समानता संबंधित कार्यकलापों का प्रभाव पता लगाने हेतु विशिष्ट अध्ययन का प्रस्ताव भी किया गया है। इन संकेतकों की रिपोर्टिंग के लक्ष्यों, स्रोतों एवं आवर्तन का ब्यौरा परियोजना मूल्यांकन दस्तावेज की परिणाम कार्यढांचा सारणी में दिया गया है।

समानता संबंधित कार्यों तथा कार्यक्रम उपलब्धियों के कार्यान्वयन में प्राप्त अनुभव के आधार पर परियोजनावधि के दौरान राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान कार्यढांचे को सुदृढ़ किया जाएगा। समानता की परिभाषा को और विशिष्ट बनाया जाएगा तथा उन हस्तक्षेपों जो समानता की उपलब्धियों में सफलतापूर्वक सहायता प्रदान करते हैं बढ़ावा दिया जाएगा तथा सफल सम्बद्ध योजनाओं को इसके अंतर्गत लाया जाएगा जैसा कि XII वीं योजना के लिए पहले ही प्रस्ताव किया जा रहा है। इस उद्देश्य को स्पष्ट किया जाएगा कि समानता को किस प्रकार लाया जा सकता है।

<u>कार्यान्वयन व्यवस्थाएं</u>

राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान मिशन में एक अधिकारी समानता योजना तथा परियोजना के अन्य समानता संबंधी कार्य के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने और निगरानी करने के लिए उत्तरदायी होगा, जिसकी सहायता तकनीकी सहायता समूह (टीएसजी) के उपयुक्त विशेषज्ञों द्वारा की जाएगी। इसी प्रकार से राज्य स्तर पर जिलों में समानता संबंधी कार्यों और लक्ष्यों तथा समेकित राज्य योजनाओं का समावेश और इन कार्यों के कार्यान्वयन को राज्य स्तरीय अधिकारी द्वारा सुसाध्य बनाया जाएगा और इसकी मॉनीटरिंग की जाएगी। जिसकी तकनीकी सहायता समूह द्वारा सहायता की जाएगी। राज्य तथा राष्ट्रीय स्तरीय समानता अधिकारी योग्य सामाजिक वैज्ञानिक होंगे जिन्हें समानता- संबंधित कार्यक्रम कार्यान्वित करने का अनुभव प्राप्त होगा और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में ऐसा कर सकने की प्रतिबद्धता हो। जिला स्तर पर जिला परियोजना समन्वयक इन कार्यों की आयोजना तथा कार्यान्वयन का समग्र प्रभारी होगा और वह नियमित रूप से इसकी मॉनीटरिंग करेगा। स्कूल स्तर पर, सभी स्कूलों के लिए स्कूल प्रबंधन विकास समिति गठित करना आवश्यक है जो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान संबंधी सभी कार्य-कलापों-आयोजना, कार्यान्वयन, डाटा एकत्रण तथा मॉनीटरिंग के लिए उत्तरदायी होगी। राज्यों को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के भीतर अभिभावकों, महिलाओं, लाभवंचित वर्गों, स्कूल अधिकारियों तथा स्थानीय पंचायतों के प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए उनकी स्कूल प्रबंधन विकास समितियों के गठन के संबंध में निर्णय लेने में छूट प्राप्त है।

......